



कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2020/

दिनांक :- /10/2020

निमित्त :

श्री रतनलाल आत्मज हीरालाल

निवासी - बालीता तहसील लाइपुरा जिला कोटा

विषय :- खसरा नम्बर 439 (कांकड़ वाला) ग्राम बालीता क्षेत्रफल 8400 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनाय) के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- प्राधिकृत अधिकारी-तृतीय के 90-ए आदेश क्रमांक 388 दिनांक 18/6/2020

राज्य सरकार कि अधिसूचना क्रमांक एफ 3(77)न.वि.वि./3/2010 दिनांक 28.06.10 द्वारा जारी निजी क्षेत्र में आवासीय, ग्रुप हाउसिंग व अन्य योजनाओं हेतु नीति 2010 (10 हैक्टेयर तक) के अन्तर्गत आपके आवेदन के क्रम में ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 16/9/2020 में लिये गए निर्णयानुसार ले-आउट प्लान स्वीकृति उपरान्त योजना विकसित किये जाने हेतु निम्न शर्तों के साथ जारी किया जा रहा है -

- (1) अनुमोदित योजना प्लान में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी है।
- (2) नियमानुसार कृषि भूमि रूपान्तरण राशि न्यास कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- (3) पॉलिसी में उल्लेखित शर्तों के अनुसार भूखण्डों की बुकिंग, पट्टा/लीज डीड आदि की कार्यवाही की जावेगी।
- (4) योजना में विकास कार्य उक्त तिथि से 6 माह में प्रारम्भ व 18 माह में पूर्ण करना होगा। विकास कार्य पॉलिसी में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न्यास के संबंधित अधिशाषी अभियंता की देखरेख में कराना होगा, निर्धारित समयावधि में मानदण्डों के अनुसार योजना के सभी आवश्यक कार्य पूर्ण कर अधिवास प्रमाण-पत्र लिया जावेगा, तथा विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 3 वर्ष तक रख-रखाव करना होगा। यदि योजना में विकास कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं पाये जाते हैं, तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
- (5) भूखण्डों पर निर्माण न्यास से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर करवाना होगा।
- (6) स्वीकृत प्लान अनुसार ही विकास कार्य किये जावेंगे योजना में किसी प्रकार का संशोधन न्यास की पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।
- (7) रैनवाहटर हारवेस्टिंग के लिये व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। विकसित की जाने वाली योजना में मास्टर प्लान/सेक्टर प्लान के अनुसार सड़कें, सीवर लाईन, नाले ओवरहेड, केबल्स आदि के लिये सम्बन्धित संस्था को 'राइट आफ वे' दिया जावेगा।
- (8) स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति जानकारी हेतु योजना स्थल पर बोर्ड पर लगाई जावें, जिसमें न्यास में रहन रखे गये भूखण्डों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जावें।
- (9) ले-आउट में सड़कों का लेवल इस प्रकार हो कि ड्रेनेज की व्यवस्था मुख्य सड़कों पर स्थित ड्रेन में सुचारु रूप से हो सके।
- (10) आंतरिक विकास कार्य के पेटे विक्रय योग्य भूखण्डों के क्षेत्रफल का 12.5 % क्षेत्र में भूखण्ड सं0 39 से 44 (कुल 6 भूखण्ड) कुल क्षेत्रफल 6618 वर्गफीट को आरक्षित किया जाता है। उक्त भूखण्डों की बुकिंग न्यास द्वारा भूखण्ड रहनमुक्त करने के उपरान्त ही की जा सकेगी। उक्त भूखण्ड नगर विकास न्यास में रहन है एवं उक्त भूखण्डों को किसी को भी बैचान नहीं करें। यदि बैचान किया जाना पाया जाता है तो स्वीकृति किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉगेज डीड संपादित करवायें।

- (11) समय-समय पर राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा नियमों/शर्तों की पालना करनी होगी।
- (12) टाउनशिप पॉलिसी-2010 में उल्लेखित समस्त शर्तों की पालना करनी होगी।
- (13) उक्त ले-आउट का RERA में पंजीयन करवाया जाना होगा।
- (14) उपरोक्तानुसार शर्तों की पालना नहीं होने पर स्वीकृति निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न :- स्वीकृत ले-आउट प्लान

(राजेश जोशी)
सचिव
नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2020/ 922

दिनांक :- 22/10/2020

प्रतिलिपि :-

- ✓ उप सचिव (.....II.....), नगर विकास न्यास, कोटा। को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार 12.5 प्रतिशत आरक्षित भूखण्डों को रहन रखे जाने हेतु मॉर्गेज डीड संपादित करवायें। उक्त भूखण्ड आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त मुक्त किये जा सकेंगे।
- 2- अधिशाषी अभियंता (.....IV.....) को प्रेषित कर लेख है कि योजना का समय-समय पर मौका निरीक्षण करें एवं समय-समय पर विकास कार्य की जांच कर निर्धारित मानदण्ड अनुसार सुनिश्चिता कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(महावीर सिंह मीना)
वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास, कोटा

नोट :-

सं-अड्डा प्लान क्रमांक 439 (समाप्त) प्लान क्रमांक 439 के अंतर्गत 15/9/2020 में विधि में प्रस्तुत किया गया है।

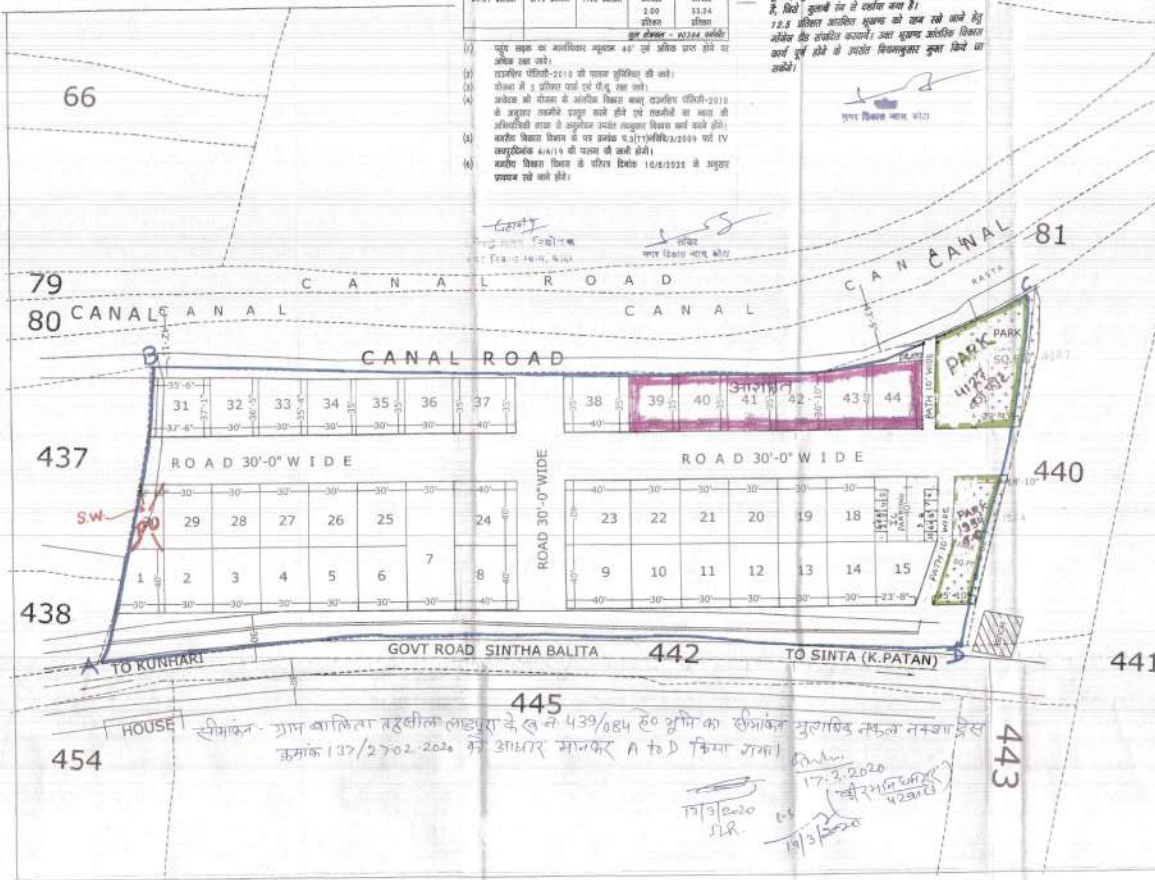
Residential	Park	I.C.	P.U.	Road
51.157 वर्गमीटर	40.81 वर्गमीटर	1.35 वर्गमीटर	18.57 वर्गमीटर	10.029 वर्गमीटर
56.81 वर्गमीटर	6.73 वर्गमीटर	1.43 वर्गमीटर	2.00 वर्गमीटर	13.34 वर्गमीटर

- (1) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।
- (2) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।
- (3) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।
- (4) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।
- (5) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।
- (6) प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।

प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।

प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।

प्लान सकेत का आयाम 40' एवं अधिक होना चाहिए।



PROPOSED LAY OUT PLAN OF
RESEIDENTIAL SCHEME
"SIV VIHAR"
VILLAGE - BALITA
IN KHASRA NO-439
TEH- LADHURA
DIST. -KOTA (RAJ.)

LAND OWNER :-
RATAN LAL S/O SH. HERA LAL
MADHURAJ PURA
K. PATAN(BUNDI)

S.NO.	KH.NO.	AREA IN HECT.
1	439	0.84
TOTAL		8400

S.NO.	PARTICULAR	AREA SQ.FT.	AREA %
1.	RESIDENTIAL	53702.0	59.42 %
2.	PARK	4961.00	5.49 %
3.	I.C.	500.00	0.35 %
4.	ROAD	31221.00	34.54 %
TOTAL AREA		90384.00	100.00 %

KHASRA BOUNDARY SHOWN THUS

SCALE = 1"=40'

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT